राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक F 26(4)(37)/PMMVY-CAS/ICDS/2017-18/ 204644-980 दिनांक : 30-11-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त

विषयः– प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत लाभार्थी से प्राप्त फार्मो के उचित रख–रखाब के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के पर्यवेक्षण के दौरान पाया गया है कि उक्त योजना के फार्म व दस्तावेजों की सही प्रकार से देखरेख व रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिससे योजना का पर्यवेक्षण/निरीक्षण सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि :–

1. सभी पीएमएमवीवाई फार्म को सेक्टर अनुसार व्यवस्थित किया जाना सुनिश्चित करें। सेक्टरवार फार्म का उत्तरदायित्व संबंधित महिला पर्यवेक्षक का होगा, संबंधित महिला पर्यवेक्षक सुनिश्चित करेंगी कि लाभार्थी के सभी फार्म माहवार/दिनांकवार बंडल बना कर सुरक्षित रखें।
2. महिला पर्यवेक्षक उक्त योजना से संबंधित फार्म का विवरण एक रजिस्टर में निर्धारण करेंगी, जिसमें कार्यकर्ता द्वारा दिये गये फार्म का विवरण तथा संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा सीडीपीओं कार्यालय में ऑपरेटर को ऑनलाईन हेतु दिये गये फार्म का विवरण रखेगी।
3. संबंधित महिला पर्यवेक्षक आनलाईन किये गये फार्म को ऑपरेटर से प्राप्त कर दिनांक वार व्यवस्थित करेंगी।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी पीएमएमवीवाई के सभी फार्मस को सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करेंगें।
5. संबंधित उपनिदेशक अपने जिले की सभी परियोजनाओं में उपरोक्त फार्मस का पर्यवेक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि पीएमएमवीवाई के फार्म/दस्तावेजों का माहवार/दिनांकवार रिकार्ड संधारण किया गया है तथा उनको सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।

लाभार्थियों के आफलाईन फार्म कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक के माध्यम से सीडीपीओ कार्यालय में ऑनलाईन होते है और सीडीपीओं कार्यालय में ही ऑनलाईन फार्म का रिकार्ड संधारण होता है, इस स्थिति में यदि कोई लाभार्थी का कोई फार्म नहीं पाया जाता है तो संबंधित महिला पर्यवेक्षक व बाल विकास परियोजना अधिकारी की व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक F 26(4)(37)/PMMVY-CAS/ICDS/2017-18/ 204981-82 दिनांक : 30-11-18

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव निदेशक, आईसीडीएस, राजस्थान जयपुर
2. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (आईईसी)/
सहायक राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)